

स्थापना वर्ष- 1966

महात्मा गांधी बालिका विधालय (पी.जी.) कॉलेज, ફિરોજાબાદ

सम्बद्ध - ડॉ. वी. આર. આમ्बेडकर વिश्वविद्यालय, આગરા

NAAC Accredited : B+Grade



Prospectus

2019-20

मूल्य 250/- રुપयા

संख્યા 1831



महाविद्यालय परिसर



पुस्तकालय भवन



प्रशासनिक भवन

महात्मा गांधी बालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज

फिरोजाबाद

Web Site - mgbvpgcollege.com

परिचय (Introduction)

महात्मा गांधी बालिका विद्यालय (पी. जी.) कॉलेज, महात्मा गांधी सेवा-संघ, फिरोजाबाद की प्रेरणा एवं शहर के गणमान्य नागरिकों के तन-मन-धन के सक्रिय सहयोग से पं. बालविहारी लाल शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयासों का साकार स्वरूप है।

वर्ष 1952 में महात्मा गांधी बालिका माध्यमिक विद्यालय के रूप में तिलक भवन से उद्दित हो वर्ष 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से कला-संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त कर महाविद्यालय के रूप में एस.एन.रोड पर पल्लवित हुआ। महाविद्यालय ने श्री बालकृष्ण गुप्त के अध्यक्षीय कार्यकाल में सचिव पं. बालविहारी लाल द्वारा प्रबन्ध समिति के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1971 में स्नातक विज्ञान संकाय की सम्बद्धता प्राप्त की। वर्ष 1983 में स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत एवं संगीत गायन की सम्बद्धता प्राप्त कर नगर की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 2001 में पं. बालविहारी लाल के अध्यक्षीय कार्यकाल में महाविद्यालय के युवा सचिव श्री सुनील अग्रवाल ने स्ववित्तपोषित अनुभाग की स्थापना कर डा. डी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती आगरा विवि) से डी.एस.-सी (गृह विज्ञान) की सम्बद्धता प्राप्त की। पुनः वर्ष 2003 में डी.कॉम और एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान) में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त कर जनपद की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा का वृहद् क्षेत्र विकसित किया। वर्ष 2006 में प्रबन्ध समिति एवं तत्कालीन सचिव श्री डी.एन.शर्मा के सदप्रयासों से स्ववित्तपोषित अनुभाग का सर्वांगीण विकास हुआ। एम.ए. समाज शास्त्र की सम्बद्धता स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2007 – 2008 से प्राप्त करने के बाद एम.एस.सी. रसायन विज्ञान की सम्बद्धता सत्र 2009–2010 से प्राप्त की। स्नातक स्तर पर डी.ए. में एक विषय के रूप में शिक्षाशास्त्र की सम्बद्धता सत्र 2010–11 से प्राप्त हुई।

वर्ष 2016 में वर्तमान प्रबन्ध समिति एवं सचिव श्री अनिल उपाध्याय के कार्यकाल में महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराया गया जिसमें महाविद्यालय को B+ ग्रेड प्राप्त हुआ।

परिकल्पना (Vision)

महाविद्यालय की परिकल्पना नगर में ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना है, जिसमें बालिकाओं को उच्च-शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

लक्ष्य (Mission)

महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं के मन में यह चेतना जाग्रत करना है कि स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीन विकास में भी उनकी समान रूप से बराबर की भागीदारी है।

उद्देश्य (Objective)

जाति, दर्गा एवं धर्म-भेद-भाव के द्विना स्वस्थ शिक्षा प्रदान कर बालिकाओं का सर्वांगीन विकास करना महाविद्यालय का उद्देश्य है। महाविद्यालय को बालिकाओं की उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में नगर की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का श्रेय और गौरव प्राप्त है।

भवन (Building)

महाविद्यालय का अपना निजी भवन शहर के सुरक्षित वातावरण के मध्य एस.एन. रोड पर स्थित है। हथाहार विशाल इकान-कक्ष, स्व. सेठ कुन्दनलाल-उमरावलाल वी स्मृति में निर्मित भव्य हॉल एवं मनसोहक उद्घान से महाविद्यालय-परिवर्त सुशोभित है। संकाय/विभागानुसार पृथक-पृथक कक्ष आवंटित है। विज्ञान संकाय में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध-समिति के अध्यक प्रयाती से तीन मंजिला नवीन भवन निर्मित हो चुका है। बी.एस.-सी., गृह विज्ञान के विभिन्न नवीन कक्षों एवं प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण कर आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। बी.ए. गृह विज्ञान व मनोविज्ञान हेतु नवीन उपकरणों से सुसज्जित नवीन लैब विद्यमान है।

पुस्तकालय (Library)

महाविद्यालय में विशाल पुस्तकालय है, जिसमें पुस्तकों के रख-रखाव तथा छात्राओं के दैठकर अध्ययन करने की समुदित व्यवस्था है।

पुस्तकालय में प्रति वर्ष पाठ्यक्रमानुसार नवीन पुस्तकों के रख-रखाव तथा छात्राओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। नवीन अलमारीयां आदि कृय कर पुस्तकालय को आधुनिक रूप से सुसज्जित एवं सुव्यवसित करने का विशेष प्रयात किया गया है। छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए तथा सुविधाओं में विस्तार हेतु तीन मंजिला विशाल पुस्तकालय भवन निर्मित हो चुका है।

वाचनालय में अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, प्रतियोगी पत्रिकाओं तथा अन्य विभागीय पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

पुस्तकालय में कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट की व्यवस्था है। छात्राओं हेतु शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था हेतु आर और नशीन की व्यवस्था की गई है।

बुक बैंक योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से संचालित बुक बैंक योजना से निर्धन एवं योग्य छात्राएं पूरे सत्र के लिए पुस्तकीय सहायता प्राप्त कर सकती है। बुक-बैंक से पुस्तकें लेने वाली छात्राओं को पुस्तकों के मूल्य का एक प्रतिशत शुल्क जमा करना होगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा-योजना (एन.एस.एस.) के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा फरवरी 1974 से उपलब्ध है। युवा विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना और राष्ट्र के प्रति दायित्व-धोष जाग्रत करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अन्तर्गत, महाविद्यालय-प्रागण में स्वच्छता, ग्रामीण अंचलों में शिविरों का आयोजन, वृक्षारोपण, रोग-उन्मूलन, साक्षरता, स्वास्थ्य-शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा, स्त्री एवं बाल कल्याण जागरूकता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्राओं में समाज-सेवा की भवना का प्रादुर्भाव होता है। वर्तमान में महाविद्यालय में इसकी दो इकाइयाँ कार्यरत हैं।

खेल कूद एवं रेजर्स

महाविद्यालय द्वारा योग्य क्रीड़ाधिकारी व प्रशिक्षक की देखरेख हेतु विविध खेल-प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। छात्राओं को अन्तर्महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय खेल-प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। महाविद्यालय में छात्राओं हेतु जिम की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय नियमों के अन्तर्गत रेजर्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। रेजर्स के लिए अपने 'घोष' की भी व्यवस्था है। 'लक्ष्मीवाई रेजर्स दल' में छात्राओं का पंजीकरण किया जाता है।

महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण उत्साह के साथ किया जाता है। निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, भाषण, कविता, इत्योक-गायन, नृत्य, नाटिका, मैंहडी, रंगोली, कलश-सज्जा, विज्ञान-प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर योग्य एवं मेघावी छात्राओं को प्रतिना-प्रदर्शन का पूर्ण अवसर और प्रोत्साहन प्रदान कर पुरस्कृत किया जाता है।

छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता

सामान्य दर्गा, अन्य पिछड़ा दर्गा, अत्यसंख्यक दर्गा, अनुसूचित जाति /जनजाति दर्गा की छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार देय होगी। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेघावी छात्राओं को महाविद्यालय अन्य सुविधा भी प्रदान करता है। शासन द्वारा प्रदत्त शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार होगी, किन्तु छात्राओं को प्रवेश लेते समय ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ण का फोर्म नियमानुसार शासन की समय सारिनी के अनुसार त्रुटिरहित online भरकर जमा करना होगा। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण फार्म जमा करने पर फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ण शासन द्वारा उपलब्ध बजट/मेरिट लिस्ट के अनुसार देय होगी। छात्रवृत्ति ऐतु 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

शोध-सुविधा

महाविद्यालय में संस्कृत और संगीत विषय में शोधकार्य (पी-एच.डी.) करने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के पठन-पाठन इत्यादि की पृथक से व्यवस्था है। तथापि उक्त सुविधा शोध के नवीन नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तथा शोध छात्र/छात्रा आवेंटेट किये जायेंगे।

महाविद्यालय के नियम एवं परिनियम

- प्राचार्या/मुख्य अनुशासन अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करना प्रत्येक छात्रा के लिए अनिवार्य है।
- प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान में नियमित आना अनिवार्य है।
- महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय घरिवय-पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मुख्य अनुशासन अधिकारी (प्रैक्टर) के माँगने पर छात्रा को अपना परिवय पत्र दिखाना होगा
- महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबन्धित है।
- किसी भी छात्रा के रैमिंग में लिपि पाए जाने अथवा अनदव्यवहार करने पर सुसंगत नियमों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। योगी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय परिसर में अकारण चहल-कड़वी प्रतिबन्धित हैं। छात्राएं कक्षाओं में अध्ययन करें। अतिरिक्त समय वाचनालय में अनुशासित रहकर पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करें। अथवा निर्धारित स्थान पर बैठें।
- माता-पिता अथवा अभिभावक, जिनकी फोटो पहचान पत्र पर दरमा है, केवल उन्हीं को महाविद्यालय में छात्रा के सम्बन्ध में बात करने अथवा उससे मिलने की अनुमति होगी।
- महाविद्यालय की संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
- सूचना पट पर समय-समय पर प्रदर्शित सूचनाओं का संज्ञान लेना छात्राओं का कर्तव्य है। अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का होगा।
- छात्राओं के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत की नियमित उत्तरिति अनिवार्य है। किसी कारणवश कक्ष में अनुपस्थित रहने की स्थिति में छात्राएं पूर्व में अवकाश प्रार्थना-पत्र विषय सम्बन्धी शिक्षिकाओं के माध्यम से प्राचार्या से स्वीकृत करवाएं। 15 दिवस निरन्तर अनुपस्थित पर नाम काटा जा सकता है।
- उपर्युक्त नियमों/परिनियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन संहोषण अनुमन्य होगा।

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण (५)

क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातक स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1.	हिन्दी	कुलाधिकारी के पत्र सं० 7327/दिनांक 07.08.1966 से सम्बद्धता (कला संकाय)
2.	अंग्रेजी	लैटेक
3.	मनोविज्ञान	लैटेक
4.	अर्थशास्त्र	लैटेक
5.	राजनीतिक शास्त्र	लैटेक
6.	समाजशास्त्र	लैटेक
7.	संगीत (गायन)	लैटेक
8.	गृह विज्ञान	जुलाई - 1973 से सम्बद्धता
9.	दिग्गजकला	जुलाई - 1973 से सम्बद्धता
10.	उर्दू	जुलाई - 1979 से सम्बद्धता
11.	संस्कृत	जुलाई - 1980 से सम्बद्धता
12.	जन्म विज्ञान	एफिल/104 वि० 12.07.74 राजका के पत्र संख्या 2984 (।) जौङ्गल० दिनांक 20.06.74 से विज्ञान संकाय (Bio group) में सम्बद्धता
13.	बनस्पति विज्ञान	लैटेक
14.	रसायन विज्ञान	लैटेक

(शासकीय सहायता प्राप्त) स्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण (६)

क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1	ए.ए.	एफिल/1824 वि. 27.10.83 (राजका के पत्र संख्या 5783/जी.एस. दिनांक 13.10.83) से ए.ए.
	संस्कृत	(संस्कृत) की सम्बद्धता
2	ए.ए. संगीत (गायन)	एफिल/1824 वि. 27.10.83 (राजका के पत्र संख्या 5783/जी.एस. दिनांक 13.10.83) से ए.ए.
		(संगीत गायन) की सम्बद्धता प्राप्त

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सम्बद्धता सम्बन्धी विवरण

स्नातक-स्नातकोत्तर

क्र.सं.	विषय का नाम	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर स्थाई सम्बद्धता
1.	बी.एस.-सी (गृह विज्ञान संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई/5 59/65/02/07/01 से सम्बद्धता प्राप्त
2.	बी.कॉम (वाणिज्य संकाय)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई /2655 /जी.एस. दि 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
3.	बी.ए. (शिक्षाशास्त्र) एक विषय	(स्ववित्त पोषित) सम्बद्धन - 471/ सत्तर-2-2009-2(577) /2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता प्राप्त
4.	एम.ए. (समाजशास्त्र)	(स्ववित्त पोषित) संख्या - 5166 सत्तर -2-2007-2(135) 2004 दिनांक 17.3.2008 के द्वारा दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता प्राप्त
5.	एम.एस.सी. (जन्तु विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक ई /2655/जी0एस0दि0 20.09.03 के द्वारा दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता प्राप्त
6.	एम.एस.सी. (रसायन विज्ञान)	(स्ववित्त पोषित) पत्रांक सं-3239 / सत्तर-2-2009-2(135)/2004 दि 0 17.11.2009 के द्वारा दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता प्राप्त

अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम

डा. शीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से शासकीय सहायता प्राप्त स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विषय-

(क) कला संकाय-

- (1) स्नातकोत्तर (एम.ए.) – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (1) संस्कृत (2) संगीत-गायन
- (2) स्नातक (बी.ए.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम-राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन
हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य
संस्कृत, साहित्य, उर्दू, संगीत . . . , गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र
शिक्षाशास्त्र (एक विषय-स्ववित्तपोषित)

(ख) विज्ञान संकाय-

- स्नातक (बी.एस.सी.) – त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम- राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन, दबस्पति विज्ञान,
जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान।

स्ववित्त - पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम

- (क) विज्ञान संकाय 1. स्नातकोत्तर – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम
(क). एम.एस.सी. – जन्तु विज्ञान (ख). एम.एस.सी. – रसायन विज्ञान
- 2. स्नातक – बी.एस.-सी. गृहविज्ञान त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (सीमिस्टर प्रणाली)
- (ख) कला संकाय 1. स्नातकोत्तर – द्विवर्षीय पाठ्यक्रम एम.ए. – समाजशास्त्र
- (ग) वाणिज्य संकाय 1. स्नातक (बी.कॉम) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

विषय – चयन हेतु नियम

(क) कला संकाय- स्नातक प्रथम वर्ष के लिए -

- (क) अनिवार्य विषय – (1) राष्ट्रगौरव और पर्यावरण अध्ययन
 (ख) वैकल्पिक मुख्य विषय – निम्नलिखित में से किन्हीं तीन विषयों का अध्ययन करें –

(1) संस्कृत साहित्य	(2) हिन्दी साहित्य	(3) अंग्रेजी साहित्य
(4) उर्दू	(5) संगीत गायन	(6) गृह विज्ञान
(7) समाजशास्त्र	(8) राजनीतिक शास्त्र	(9) अर्थशास्त्र
(10) शिक्षा शास्त्र	(11) मनोविज्ञान	(12) चित्रकला
(13) सामान्य अंग्रेजी	(14) हिन्दी भाषा	(15) सामान्य संस्कृत

उपर्युक्त विषयों में से चयन करते समय प्रतिबन्ध होगा कि -

1. छात्राएँ विषयों का चयन सावधानी पूर्दक करें। प्रवेश समिति द्वारा स्वीकृत विषय किसी भी दशा में बदले नहीं जायेंगे।
 2. प्रत्येक विषय में 60 की संख्या पूर्ण होने तक ही प्रवेश दिए जायेंगे।
 3. छात्रा दो से अधिक प्रयोगात्मक विषय अथवा साहित्य नहीं ले सकती।
 4. हिन्दी भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य संस्कृत में से कोई एक विषय यदि छात्रा चाहे तो ले सकती है।
 5. बी.ए. द्वितीय वर्ष में छात्राएँ पूर्व में चयनित मुख्य विषय ही ले सकती हैं।
 6. बी.ए. तृतीय वर्ष में छात्राएँ बी.ए. द्वितीय वर्ष में चयनित तीन विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन करेंगी।
किन्तु हिन्दी भाषा सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य संस्कृत नहीं ले सकती।

(ख) विज्ञान संकाय – स्नातक प्रथम वर्ष के लिए –

- (क) अनिवार्य विषय - 1. राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन

(व) मुख्य विषय

- (क) रसायन विज्ञान (ख) दनत्यर्थी विज्ञान (ग) जन्तु विज्ञान।
 - स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित मुख्य विषय ही ले गी।
 - स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्राएँ स्नातक द्वितीय वर्ष के मुख्य विषयों में से दो विषयों का चयन करेंगी।

(ग) वाणिज्य संकाय - स्नातक प्रथम वर्ष के लिए -

1. व्यावसायिक प्रशासन (Business Administration)
 2. लेखा एवं विधि (Account & Law)
 3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र (Applied Business Economics)
 4. अनिवार्य विषय - राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन
- वी. कॉम हिंतीय तथा तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही ले सकती हैं।

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश -

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा कार्यालय द्वारा आवेदन - पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा -

स्नातक प्रथम वर्ष में आवेदन हेतु -

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (छात्रवृत्ति एवं आरक्षित शेषी हेतु)
5. जाति-प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (यदि आरक्षण चाहते हो तो)
6. विकलांग/मूलपूर्व सैनिक अथवा शिक्षक अधिक्रित के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. संस्था (जिसमें अनिम शिक्षा पाई हो) के प्राचार्य/प्राचार्या से प्राप्त चरित्र-प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8. उप्र. से बाहर से आने वाली छात्राएँ प्रदर्जन-प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
9. आधार कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि।
10. घोषणा पत्र मूल रूप में।
11. वेव रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट-

- क. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी मूल शैक्षिक अभिलेख-अंकतालिकाओं स्थानान्तरण, आय, जाति और चरित्र प्रमाण-पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य है। महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र की पंजीकरण रसीद साक्षात्कार के समय साथ रखें।

(ग) वाणिज्य संकाय - स्नातक प्रथम वर्ष के लिए -

1. व्यावसायिक प्रशासन (Business Administration)
2. लेखा एवं विधि (Account & Law)
3. व्यावहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र (Applied Business Economics)
4. अनिवार्य विषय - राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन

बी. कॉर्म द्वितीय तथा तृतीय वर्ष की छात्राएँ पूर्व में चयनित विषय ही से सकती हैं।

आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश -

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा कार्यालय द्वारा आवेदन - पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा -

स्नातक प्रथम वर्ष में आवेदन हेतु -

1. हाईस्कूल अंकलालिका एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. इंटरनीडिएट अंकलालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (जात्रवृत्ति एवं आरोपित श्रेणी हेतु)
5. जाति-प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि। (यदि आरक्षण चाहते हों तो)
6. विकलांग/मूलपूर्व सैनिक अथवा शिक्षक आक्रिति के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. संस्था (जिसमें अनिम शिक्षा पाई हो) के प्राचार्य/प्राचार्या से प्राप्त चरित्र-प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8. उप्र. से बाहर से आने वाली छात्राएँ प्राप्तजन-प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
9. आधार कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि।
10. घोषणा पत्र मूल रूप में।
11. देव रजिस्ट्रेशन की आयापति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट-

क. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी मूल हैंडिक अभिलेख-अंकलालिकाओं स्थानान्तरण, आय, जाति और चरित्र प्रमाण-पत्र आदि साथ लाना अनिवार्य है। महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र की पंजीकरण रत्तीद साक्षात्कार के समय साथ रहते।

- (ख) स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और पराम्परातक (एम.ए., एम.एस.सी.) उत्तरार्द्ध की छात्राएँ केवल अहं परीक्षा (पूर्व वर्षों) की उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय मूल अंकतालिका लाना अनिवार्य है। एम.एस.सी प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा।
- (ग) छात्रा को आवेदन-फार्म पर प्रथम वर्ष की प्रवेश संख्या और विश्वविद्यालय से प्राप्त नामांकन संख्या लिखना अनिवार्य है।

महाविद्यालय का परिधान

महाविद्यालय में छात्राओं को सफेद कुर्ता-सलवार पहनकर आना है।

दुपट्टे का चयन कक्षावार इस प्रकार होगा—

बी.ए.	— महरून
बी.एस.सी.	— गहरा हरा (काई)
बी.एस.सी.-गृह विज्ञान	— हल्का नीला (आसमानी)
बी.कॉम.	— हल्का बैगनी
एम.ए.	— हल्का सिलेटी (ग्रे)
एम.एस.सी.	— गहरा नीला (नेबी ब्लू)
शीतकालीन में	— महरून स्टेटर अथवा शॉल डिजाइन रहित (सादा)

नोट : विवाहित छात्राएँ सादा महरून साढ़ी-खाउज पहन सकती हैं।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. सम्पूर्ण शुल्क वर्ष में एक बार प्रवेश के समय ही लिया जाएगा।
2. शास्त्र द्वारा सत्र के मध्य में दबाया शुल्क भी देय होगा।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा तथा नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किए जायेंगे, जबकि छात्रा उस सत्र का संपूर्ण शुल्क जमा कर देगी।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा का प्रवेश-पत्र सम्पूर्ण देय धनराशि का भुगतान एवं महाविद्यालय की समस्त सामग्री, जो छात्रा के नाम अंकित हो, वापस किए जाने के पश्चात ही दिया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय के खाते में प्रवेश अंकित हो जाने के बाद आवेदन के साथ जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

शुल्क - तालिका (2019-2020)

प्रवेश के समय पूरे वर्ष का शुल्क एवं अन्य वार्षिक शुल्क निम्नवत है-

शुल्क का नाम	बी.ए.I,I,II,III प्रयोगात्मक रहित शुल्क	बी.ए.I,I,II,III प्रयोगात्मक सहित शुल्क	बी.एस.सी. I,I,II,III	एम.ए. संगीत (गायन) I,I,II	एम.ए. संस्कृत I,I,II
शिक्षण शुल्क	-	-	-	-	-
पंजीकरण शुल्क	2	2	2	2	2
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3
पंखा शुल्क	12	12	12	12	12
शीतोष्ण शुल्क	24	24	24	24	24
मंहगाई शुल्क	42	42	42	42	42
पुस्तकालय शुल्क	30	30	30	38	38
विकास शुल्क	30	30	30	30	30
पत्रिका शुल्क	15	15	15	15	15
निर्धन छात्रा-कोष शुल्क	12	12	12	12	12
विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1500	1700	1700	2200	2000
परिचय पत्र शुल्क	8	8	8	8	8
भवन रख-रखाव शुल्क	30	30	30	30	30
झीड़ा शुल्क	200	200	200	200	200
लैब आकस्मिक शुल्क	25	25	35	25	25
दीक्षान्त समारोह शुल्क	10	10	10	10	10
छात्र-कल्याण शुल्क	12	12	12	12	12
पुस्तकालय आकस्मिक शुल्क	30	30	30	30	30
सांस्कृतिक शुल्क	50	50	50	50	50
छात्र संघ शुल्क	10	10	10	10	10
जैनरेटर शुल्क/विद्युत	100	100	100	100	100
काशन मनी	25	25	25	25	25
प्रयोगात्मक शुल्क	-	240(भी लिखा)	720	240	-
विकित्सा शुल्क	12	12	12	12	12
वैदिक परीक्षा शुल्क	-	-	-	-	200

नामांकन शुल्क किसी भी कक्षा हेतु-300 रु. देय होगा। स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क अनिवार्य है।

स्वयित्त पोषित कक्षाओं हेतु वार्षिक शुल्क (2019–2020)

1. बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)		
I & II सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर की शुल्क वर्ष में एक बार)	10,700	
III & IV सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर की शुल्क वर्ष में एक बार)	10,400	
V & VI सैमिस्टर (दोनो सैमिस्टर की शुल्क वर्ष में एक बार)	10,400	
2. बी.कॉम (प्रथम वर्ष)	7300	
बी. कॉम (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष)	7000	
3. एम. एस. सी. (जन्मु विज्ञान) प्रथम वर्ष	14,000	
एम. एस. सी. (जन्मु विज्ञान) द्वितीय वर्ष	14,000	
4. एम. एस. सी. (रसायन विज्ञान) प्रथम वर्ष	14,000	
एम. एस. सी. (रसायन विज्ञान) द्वितीय वर्ष	14,000	
5. एम. ए. (समाजशास्त्र) प्रथम वर्ष	6500	
एम. ए. (समाजशास्त्र) द्वितीय वर्ष	6700	
6. बी. ए. शिक्षाशास्त्र—एक विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष	500	
तृतीय वर्ष	740	

स्नातक कक्षाओं को छोड़कर स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन कराने हेतु शुल्क 300 पृथक से देय होगा।

प्रति छात्रा 100रु. जैनरेटर शुल्क / विद्युत शुल्क पृथक से देय होगा।

प्राचार्या

डॉ. निर्मला यादव, एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत) पी.-एच.डी.

कला संकल्प

हिन्दी विभाग	: 1. डॉ. संघा द्विवेदी, एम.ए., नैट	गणपुर इन्हिं फैला
संस्कृत विभाग	: 2. रिक्त स्थान	पिठौरिंग फैला
अंग्रेजी विभाग	: 1. डॉ. तुलसी देवी, एम.ए., पी.एच.डी. लक्ष्मी लालै कु. ४	लक्ष्मी लालै कु. ४
उर्दू विभाग	: 2. रिक्त स्थान	गणपुर इन्हिं फैला
संगीत विभाग	: 1. डॉ. अन्जु शर्मा एम.ए., पी.एच.डी.	गणपुर इन्हिं फैला
दित्रकला विभाग	: 2. रिक्त स्थान	गणपुर इन्हिं फैला
गृह विज्ञान विभाग	: 1. डॉ. फरहा तबस्तुम एम.ए., पी.एच.डी. गणपुर इन्हिं फैला	गणपुर इन्हिं फैला
मनोविज्ञान विभाग	: 2. श्रीमती प्रज्ञा केसरवानी, एम.ए., नैट	गणपुर इन्हिं फैला
समाजशास्त्र विभाग	: 1. डॉ. भीमा गुप्ता एम.ए., पी.एच.डी.	गणपुर इन्हिं फैला
राजनीतिशास्त्र विभाग	: 2. रिक्त स्थान	पिठौरिंग फैला
अर्थशास्त्र विभाग	: 3. रिक्त स्थान	गणपुर इन्हिं फैला
शारीरिक शिक्षा विभाग	: 1. रिक्त स्थान	गणपुर इन्हिं फैला

विज्ञान संकाय

जन्तु विज्ञान विभाग	: 1. रिक्त स्थान	गणपुर इन्हिं फैला
वनस्पति विज्ञान विभाग	: 1. रिक्त स्थान	गणपुर इन्हिं फैला
रसायन विज्ञान विभाग	: 1. कु. रीता दीक्षित एम.एस.सी., एम.फिल	गणपुर इन्हिं फैला

स्ववित्तपोषित संकाय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अर्हताधारी सुयोग्य शिक्षकों की व्यवस्था है। पर्याप्त संख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

विभिन्न समितियाँ

परामर्श दात्री – समिति (Advisory Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	-	अध्यक्षा	
2. डॉ. मीना गुप्ता	-	सदस्या	10. 70
3. डॉ. तुलसी देवी	-	सदस्या	10. 40 लग्जी ट्रैक्टर
4. कु. रीता दीक्षित	-	सदस्या	10. 40 लग्जी ट्रैक्टर
5. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	-	सदस्या	10. 40
6. डॉ. पूनम	-	सदस्या	10. 40 लग्जी ट्रैक्टर
7. डॉ. फरहा तबस्तुम	-	सदस्या	10. 40
8. डॉ. रत्ना सक्सेना	-	सदस्या (सचिव)	10. 40 लग्जी ट्रैक्टर

आन्तरिक गुणवत्ता – आश्वासन प्रकोष्ठ (I.Q.A.C.)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्य)	-	अध्यक्षा	
2. डॉ. मीना गुप्ता	-	संयोजिका	लग्जी लग्जी लग्जी
3. डॉ. तुलसी देवी	-	सदस्या,	
4. डॉ. अंजू शर्मा	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
5. डॉ. रत्ना सक्सेना	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
6. कु. रीता दीक्षित	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
7. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
8. डॉ. पूनम	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
9. डॉ. फरहा तबस्तुम	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
10. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	-	सदस्या	
11. श्री अनिल उपाध्याय	-	सदस्य	लग्जी लग्जी लग्जी
12. रिक्त स्थान	-	सदस्य	लग्जी लग्जी लग्जी
13. रिक्त स्थान	-	सदस्य	लग्जी लग्जी लग्जी
14. श्रीमती ममता गुप्ता	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी
15. श्रीमती शैलजा पाठक	-	सदस्या	लग्जी लग्जी लग्जी

अनुशासन – समिति (Discipline Committee)

1. डॉ. तुलसी देवी	-	मुख्य अनुशासन अधिकारी
2. डॉ. मीना गुप्ता	-	सह अनुशासन अधिकारी
3. डॉ. रत्ना सरकारी	-	सदस्य
4. डा. अंजू शर्मा	-	सदस्य
5. कु. रीता दीक्षित	-	सदस्य
6. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	-	सदस्य
7. डॉ. पूनम	-	सदस्य
8. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	सदस्य
9. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	-	सदस्य
10. छात्रा प्रतिनिधि	-	नामित

प्रवेश – समिति (Admission Committee)

स्नातक कक्षाएँ (कला संकाय)

1. डॉ. मीना गुप्ता	-	संयोजिका
2. डॉ. अंजू शर्मा	-	सदस्या
3. डॉ. रत्ना सरकारी	-	सदस्या
4. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्या	-	सदस्या
5. डॉ. पूनम	-	सदस्या
6. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	सदस्या
7. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	-	सदस्या

परास्नातक कक्षाएँ (कला संकाय)

1. डॉ. तुलसी देवी	-	प्रभारी
2. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	-	सदस्या
3. डॉ. अंजू शर्मा	-	सदस्या
4. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्या	-	सदस्या

विज्ञान – संकाय

स्नातक / परास्नातक कक्षाएँ (बी.एस.-सी./एम.एस.सी.)

1. कु. रीता दीक्षित	-	संयोजिका
---------------------	---	----------

छात्रवृत्ति-समिति (Scholarship Committee)

सामान्य वर्ग	1. प्राचार्या 2. डॉ. मीना गुप्ता 3. डॉ. प्रियदर्शीनी उपाध्याय 4. डॉ. रत्ना सकर्सैना	अध्यक्षा सदस्या सदस्या संयोजिका
अन्य पिछला वर्ग	1. प्राचार्या 2. डॉ. मीना गुप्ता 3. डॉ. फरहा तबस्सुम 4. डॉ. पूनम	अध्यक्षा सदस्या सदस्या संयोजिका
अल्पसंख्यक वर्ग	1. प्राचार्या 2. डॉ. मीना गुप्ता 3. डॉ. रत्ना सकर्सैना 4. डॉ. फरहा तबस्सुम	अध्यक्षा सदस्या सदस्या संयोजिका
अनुसूचित जाति/ जनजाति	1. प्राचार्या 2. डॉ. मीना गुप्ता 3. डॉ. प्रियदर्शीनी उपाध्याय 4. डॉ. पूनम	अध्यक्षा सदस्या सदस्या संयोजिका

राष्ट्रीय सेवा-योजना समिति (N.S.S. Committee)

1. डॉ. प्रियदर्शीनी उपाध्याय — योजनाधिकारी (प्रथम इकाई)
 2. डॉ. रत्ना सकर्सैना — योजनाधिकारी (द्वितीय इकाई)

क्रीड़ा - समिति (Games Committee)

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. डॉ. मीना गुप्ता | — प्रभारी |
| 2. डॉ. प्रियदर्शीनी उपाध्याय | — सदस्या |
| 3. कु. रीता दीक्षित | — सदस्या |
| 4. कु. निष्ठा शर्मा | — सदस्या |
| 5. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) | — सदस्याएँ |

रेन्जर्स समिति (Rangers Committee)

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. डॉ. फरहा तबस्सुम | — प्रभारी |
| 2. डॉ. रत्ना सकर्सैना | — सदस्या |
| 3. कु. निष्ठा शर्मा | — सदस्या |
| 3. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) | — सदस्याएँ |

चिकित्सा प्रकोष्ठ (Medical Cell)

- | | | |
|---------------------|---|---------|
| 1. डॉ. मीना गुप्ता | - | प्रभारी |
| 2. कु. रीता दीक्षित | - | सदस्या |

कैरियर एण्ड काउन्सलिंग सैल (Career and Counseling Cell)

- | | | |
|----------------------------------|---|----------|
| 1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) | - | अध्यक्षा |
| 2. डॉ. फरहा तबस्सुम | - | सदस्या |
| 3. डॉ. पूनम | - | संयोजिका |

समान सुअवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell)

- | | | |
|----------------------------------|---|----------|
| 1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) | - | अध्यक्षा |
| 2. डॉ. तुलसी देवी | - | सदस्या |
| 3. डॉ. रत्ना सक्सेना | - | सदस्या |
| 4. डॉ. मीना गुप्ता | - | संयोजिका |

छात्र कल्याण समिति (Students Welfare Committee)

- | | | |
|----------------------------------|---|----------|
| 1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या) | - | अध्यक्षा |
| 2. डॉ. तुलसी देवी | - | संयोजिका |
| 3. डॉ. पूनम | - | सदस्या |
| 4. डॉ. फरहा तबस्सुम | - | सदस्या |
| 5. छात्रा प्रतिनिधि | - | सदस्याएँ |

सांस्कृतिक समिति (Cultural Committee)

- | | | |
|-----------------------------|---|----------|
| 1. डॉ. अंजू शर्मा | - | प्रभारी |
| 2. डॉ. मीना गुप्ता | - | सदस्या |
| 3. डॉ. तुलसी देवी | - | सदस्या |
| 4. डॉ. रत्ना सक्सेना | - | सदस्या |
| 5. डॉ. पूनम | - | सदस्या |
| 6. डॉ. फरहा तबस्सुम | - | सदस्या |
| 7. डॉ. राज्यश्री मिश्रा | - | सदस्या |
| 8. छात्रा प्रतिनिधि (नामित) | - | सदस्याएँ |

शोध – समिति (Research Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	-	अध्यक्षा
2. डॉ. तुलसी देवी	-	संयोजिका
3. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	-	सह संयोजिका
4. डॉ. अंजु शर्मा	-	सदस्या
5. डॉ. मीना गुप्ता	-	सदस्या
6. डॉ. रत्ना सक्सैना	-	सदस्या
7. डॉ. पूनम	-	सदस्या
8. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	सदस्या
9. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	-	सदस्या

पत्रिका–समिति (Magazine Committee)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	-	संरक्षिका
2. डॉ. तुलसी देवी	-	मुख्य सम्पादिका
3. डॉ. रत्ना सक्सैना	-	सदस्या
4. कु. रीता दीक्षित	-	सदस्या
5. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	सदस्या
6. निष्ठा शर्मा	-	सदस्या
7. छात्रा प्रतिनिधि (नामित)	-	सदस्यार्थी

पुस्तकालय – समिति (Library Committee)

1. डॉ. मीना गुप्ता	-	प्रभारी
2. डॉ. तुलसी देवी	-	सदस्या
3. डॉ. रत्ना सक्सैना	-	सदस्या
4. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	सदस्या
5. कु. रीता दीक्षित	-	सदस्या

शिकायत निवारण–प्रकोष्ठ (Grievance Redressal Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	-	अध्यक्षा
2. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	सदस्या
3. डॉ. राज्यश्री मिश्रा	-	सदस्या
4. डॉ. रत्ना सक्सैना	-	सदस्या, सचिव

एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ (Anti Raging Cell)

1. डॉ. फरहा तबस्सुम	-	प्रभारी
2. कु. रीता दीक्षित	-	सदस्या
3. निष्ठा शर्मा	-	सदस्या

सैक्सुअल हरेसमेण्ट निवारण प्रकोष्ठ
(Sexual Harassment Prevention Cell)

1. डॉ. निर्मला यादव (प्राचार्या)	-	आधिका
2. डॉ. तुलसी देवी	-	सदस्या
3. कृ. रीता दीक्षित	-	सदस्या
4. श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	-	सदस्य
5. श्री बद्री विशाल माथुर	-	सदस्य
6. डा. मीना गुप्ता	-	सदस्या

नोट- समितियों में सत्र के मध्य में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है

शिक्षणेत्र कर्मचारी वर्ग

1. श्री संजीव जैन (निलम्बित)	नैतिक लिपिक	(एम.कॉम.)
2. श्रीमती ममता गुप्ता	तबला संगतकार	(एम.ए.तबला)
3. श्रीमती फूलमाला राजन	प्रयोगशाला सहायक	(मनोविज्ञान)
4. श्री अनिल कुमार	प्रयोगशाला सहायक	(जन्तु विज्ञान)
5. श्रीमती अरुणा भट्ट	प्रयोगशाला सहायक	(वनस्पति विज्ञान)
6. श्री गजेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला सहायक	(रसायन विज्ञान)
7. श्रीमती शैलजा पाठक	प्रयोगशाला सहायक	(गृह विज्ञान)
8. श्री जगदीश	दफतरी	
9. श्री रामजीलाल	प्रयोगशाला परिचर	
10. श्री महेश्वरन्द	प्रयोगशाला परिचर	
11. श्री राजेन्द्र बहादुर	माली	
12. श्रीमती लौंगश्री	प्रयोगशाला परिचर	
13. श्रीमती दिनेश कुमारी	प्रयोगशाला परिचर	
14. श्री अमर सिंह	चौकीदार	
15. श्री जितेन्द्र सिंह	चपरासी	
16. श्री राधेश्याम गुप्ता	खादिमा-गृह विज्ञान	
17. श्री रामवीर	वनस्पति विज्ञान माली	
18. श्रीमती मालती देवी	प्रयोगशाला परिचर	
19. श्री सुधीर कुमार राजौरिया	चपरासी (कला)	
20. श्री ईशाचरन	जमादार	
21. श्री योगेश कुमार	चपरासी	
22. रिक्तपद	बुक लिफ्टर	
23. रिक्तपद	लिपिक कार्यालय	
24. रिक्तपद	पुस्तकालयाध्यक्ष	
25. रिक्तपद	कार्यालय अधीक्षक	
26. रिक्तपद	चौकीदार	
27. रिक्तपद	माली	
28. रिक्तपद	पुस्तकालय लिपिक	



३० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सत्र 2019–20 हेतु सैमिस्टर द वार्षिक कलैण्डर

- | | |
|---|---|
| 1. Web Registration स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रधन वर्ष (पैसेह परीक्षाओं को छोड़कर) | : 1 जून से 10 जुलाई 2019 तक |
| 2. (a) (i) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रधन वर्ष के लिए पंजीकरण
प्राप्त होने की तिथि। | : 15 जून 2019 |
| (ii) महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रधन वर्ष के पंजीकरण
की अनिम तिथि | : 10 जुलाई 2019 |
| (iii) महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रधन वर्ष में प्रवेश की अनिम तिथि | : 20 जुलाई 2019 |
| (b) स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिये प्रवेश की अनिम तिथि।
किसी भी दशा में यह तिथि 31 जुलाई 2019 से अग्रे नहीं होती। | : 25 जून से 4 जुलाई 2019 तक |
| (c) स्नातक एवं स्नातकोत्तर पुनः परीक्षा कार्य भरने की अनिम तिथि | : 16 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक |
| (d) प्रोग्रामकाल परीक्षा (झटी दुर्घट) के कार्य भरने की अनिम तिथि | : जुलाई का अनिम सप्ताह (25 जुलाई से 31 जुलाई 2019 तक) |
| 3. स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय ने दिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | : 5 जुलाई 2019 |
| 4. स्नातकोत्तर प्रधन वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा सम्बद्ध नहरियालयों में नामांकन
पत्र जागा करने की अनिम तिथि | : 31 जुलाई 2019 |
| 5. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रधन वर्ष में दिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि | : 22 जुलाई 2019 |
| 6. महाविद्यालयों (स्नातक प्रधन वर्ष के समाप्त विद्यार्थियों) द्वारा नामांकन हुए
इंडिया गुरुकृ एवं सामूहिक गुरुकृ लाइट विश्वविद्यालय में नामांकन
आवेदन पत्र जागा करने की अनिम तिथि | : 05 अगस्त 2019 |
| 7. स्नातक एवं स्नातकोत्तर दृष्टांतों में परीक्षालाभ भरने की अनिम तिथि | : 1 अगस्त से 31 अगस्त 2019 तक |
| 8. पुनः परीक्षा की तिथि | : हिन्दूमर माह का अनिम सप्ताह |
| 9. व्याख्यानगत परीक्षाओं के फार्म नवम्बर, 2019 में प्रकाश जाएंग। | |
| 10. विषम (ODD) सैमिस्टर परीक्षाओं की अवधि | : नवम्बर 2019 का दुष्ण चरण |
| 11. सम (EVEN) सैमिस्टर परीक्षाओं की अवधि | : ऑक्टूबर 2020 से दीसाप्टूबर सप्ताह |
| 12. प्रयोगशाल परीक्षा माह जनवरी, 2020 के प्रधन सप्ताह से करवायी 2020 के प्रधन सप्ताह में हमेशा होती। | |
| 12. परीक्षालाभ 15 जून 2020 तक घोषित करना। | |
| 14. शीर्षकालीन अवधारणा 60 दिन का होता। | |

डॉ भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12.04.2019 द्वारा अनुमोदित
प्रवेश नियमावली सत्र 2019-20

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनीत तथा कार्यादेशों के अंतर्गत है जो नाम्य होने तथा महाविद्यालयों में कला विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल0एल0सी0 प्रथम वर्ष एवं एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्भद्धता महाविद्यालय की प्रथम परिनीयमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर सके जायेंगे।

आवश्यक निर्देश

बी0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0(कृषि), एम0एस0सी0(गणित), रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्मु विज्ञान एवं दनस्त्रिय विज्ञान), एल0एल0एन0, एल0एल0जी, बी0एस0एल0एल0सी0, एवं बी0पी0एल0 के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जायेंगे जिसकी नियमावली पृथक रूप में प्रस्तुति की जायेगी।

सामान्य निर्देश

(अ) प्रवेशक नहाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्ट्रेटर्स" टैयार करतायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा नहाविद्यालय सम्बंधी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आईडन-पत्र एवं अन्य प्रस्त्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2019-2020 के लिए प्रवेशक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रवेशक कक्षा में सातवांवें के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 3 प्रतिशत विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (फैटेटीटी) वश - शश वाधित, वलन वाधित एवं दृष्टिवाधित के अंतर्गत ही) आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जननव चुन्य विकलांगिकारी का प्राप्तन-पत्र ही नाम्य होगा। नहीं अन्यार्थियों के लिये वर्ष में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कर्मीरी छात्र हैं तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) सामान्यत नहाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रुपये 250- नकद आगामी सत्र 2019-20 हेतु।

(द) प्रवेशक नहाविद्यालय को अपने नहाविद्यालय की बैद्यसाइट टैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यार्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की बैद्यसाइट तथा नहाविद्यालय की बैद्यसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश परीक्षा सी.सी.टी.टी. फैमरे की देखरेख में उत्तराई जाय। नहाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा कोड दिया जायेगा। कम्ब्लूटर ऑपरेटर नोडल का प्रशिक्षण करने हेतु ऑपरेटर का नाम, नोडल नं. 0 विश्वविद्यालय प्रेषित करें।

2. (अ) सत्र 2019-20 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के "त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम" तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष "दत्तुर्दर्शीय पाठ्यक्रम" में ही प्रवेश दिये जायेंगे।

(ब) महाविद्यालयों में एल0एल0एम0 “प्रथम वर्ष” में प्रवेश विश्वविद्यालय परीक्षा के आधार पर किये जायेंगे। एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूचियों बनाई जायेगी। प्रतीक्षा सूची योग्यतानुसार पृथक से तैयार की जायेगी जिनमें से छात्रों को योग्यतानुसार प्रवेश दिये जायेंगे, किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15-94-15/66/89 दिनांक 30.07.1994 में उत्तिष्ठित प्रावधानों का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

(स) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आदेश-पत्रों के पंजीकरण की अनिवार्यता स्नातकोत्तर प्रवेश 31 जुलाई 2019 के पश्चात नहीं होगा। ऐसे अन्यथा

तिथि 20 जुलाई 2019 होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 31 जुलाई 2019 के पश्चात नहीं होगा। ऐसे अन्यथा जिनका परीक्षाकल घोषित होने से रोका गया हो, परीक्षाकल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे। यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो।

- **Web Registration** (प्रवेश परीक्षाओं के चार्टर्फॉर्म को डाउनलोड एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष) : 01 जून से 10 जुलाई 2019 तक
- महाविद्यालय खुलने की तिथि : 26 जून 2019
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में (हमीं संकाय) में पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि : 15 जून 2019
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष हमीं संकाय में पंजीकरण की अनिवार्यता : 10 जुलाई 2019
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष कक्षाओं ने पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 22 जुलाई 2019
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनिवार्यता : 20 जुलाई 2019
- स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष पंजीकरण / प्रवेश की अनिवार्यता : 20 जुलाई 2019
- स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 5 जुलाई 2019

- 3- (अ) प्रवेश तूंची योग्यता अंक सहित कालेज की ट्रेक्साइट पर प्रत्यारित कर दी जाएगी। छात्र तदनुसार प्रवेश ले।
 (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिवर्द्धित न हो।
 (स) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेशार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाये।

- 4- (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के घारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
 (ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
 (स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी आईटी परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल आईटी परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा। प्राचार्य का निर्णय अनितम होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थीयों को स्नातक के उपरान्त प्रवेश के लिये अधिकतम (03) तीन वर्ष के अन्तराल को प्राचार्य की सुन्तुति के उपरान्त कुलपरिद्वारा अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अन्तराल के नियम का पालन कराई से लानू किया जाय।

- टिप्पणी :- (1) नियमावली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों पर अन्तराल (**GAP**) का नियम लागू नहीं होगा।
 (2) दो वर्ष के अन्तराल (**GAP**) के छात्रों का ऑन लाइन डाटा विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखते हुए प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ऑन लाइन फार्म भरवाते वक्त महाविद्यालय द्वारा छात्रों के रिकार्ड का मिलान किया जा सके।
 (3) नियमानुसार एल०एल०बी० 6 वर्ष, बी०ए०/एल०एल०बी० 8 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 7 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष, परास्नातक अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना होगा।
 (द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल०एल०बी० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, एल०एल०एन० कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(ग) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पदार्ड छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हों, विश्वविद्यालय के किसी भी नहायदियालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

“यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश बाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछात की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हो।”
प्राचार्य को प्रवेश के मामले में 30 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्घृत अध्यादेश-2 के अनुसार, कर्तव्य और अधिकार होंगे:-

“Subject to order issued under sub-section(4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and Principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith.”

उपर्युक्तरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इनकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विदाराधीन हो।

5 (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अहता निम्न प्रकार होगी:-

- (1) बी0एस0सी0 (कृषि कल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (2) बी0एस0सी0 (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट वायलोजी गुप्त या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
- (3) बी0एस0सी0 (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस वायोलॉजी अध्ययन गणित उत्तीर्ण।
- (4) बी0ए0/बी0कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी गुप्त की परीक्षा उत्तीर्ण।
- (5) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक ईशिक अहता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revised scheme of studies)

(संलग्नक-1)

(इ) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0(कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी। उ0ए0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड पाईट /मार्क्स दोनों प्रवेश अहता के लिये मान्य होंगे।

(उ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:-

- (1) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थाई रूप से, सम्बद्ध नहाविद्यालयों एवं उच्च जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों के आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल एवं असीमद मण्डल की सीमा के अन्तर्गत रिथंट इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यूणी0 आगरा मण्डल तथा डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा मण्डल तथा डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो, किन्तु एम0एस0सी0(कृषि) के

प्रवेश के लिए हाईस्कूल की परीक्षा यू०पी० आगरा / अलीगढ़ मण्डल के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

- (ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 05 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (i) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।
- (iii) शासनादेश संख्या जी०आई० 35/सल्तर-१-२००० दिनांक 23 सितम्बर, २००० के अन्तर्गत करमीर के विस्थापित छात्र - छात्रों को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
- (iv) भाग-२ तथा भाग-३ में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-१ के अभ्यर्थियोंसे योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।
- (v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो विश्व विद्यालय की एक समिति द्वारा स्कॉरिंग करने के उपरान्त कुलसंघित के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (1) अधिकारी छात्र कल्याण।
- (2) प्रत्येक जिले का विरिष्टम् प्राचार्य -दाक्कानुसार।
- (3) एस०एन० मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन का विरिष्ट प्राच्यापक।

नोट:- कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय दिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश "प्रोवीजनल" भी नहीं देगा।

- (vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर वर्ष में साध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
- (vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों का असरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना:-

6- (क) स्नातक कक्षाएँ:

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेंगे।
2. (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तरामा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम010 के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते हैं अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी010 की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी रहित) उत्तीर्ण कर ली हो।
(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से शास्त्री त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम010 पूर्वाद्द परीक्षा केवल संस्कृत में दे सकते हैं।
(ग) एम010म पूर्वाद्द परीक्षा के लिये अर्हता केवल बी010म त्रिवर्षीय परीक्षा है।
(घ) दयालबाग ईम्ड विश्वविद्यालय, आगरा अथवा अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक (आनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में केवल उन्हीं विषयों में प्रविष्ट हो सकते हैं जिन विषयों में अभ्यर्थी ने स्नातक आनर्स की उपाधि प्राप्त की हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक):-

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिवन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातकोत्तर कक्षाएँ:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीन के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:
 - (क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
 - (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
 - (ग) तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
 - (घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

2. एन०सी०सी०'सी'' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कोडिटों को	8 अंक
अथवा	
एन०सी०सी०'बी'' सर्टीफिकेट / जी-1 उत्तीर्ण कोडिटों को	6 अंक
अथवा	
एन०सी०सी० कैडिट जिन्होने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पो में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	3 अंक
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)	5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के सदय सेवकों को	5 अंक
5. शी०कॉर्स (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होने इन्स्टर्मीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वाकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।	

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायेः

- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने:-
 (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 8 अंक।
 (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 7 अंक।
 (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 6 अंक।
 (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 3 अंक।
- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तिविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने:-
 (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए - 5 अंक।
 (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए - 4 अंक।
 (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए - 3 अंक।
 (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।
- एन०सी०सी०'सी'' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कोडिटों को - 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी०'बी'' सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक कोडिटों को - 6 अंक

अथवा

- एन०सी०सी० कैडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2
कैम्पो में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। - 3 अंक।
4. एन०एस०एस० में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प
पूरा करने के लिए। - 5 अंक
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स/रेजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली
में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया है। - 3 अंक
- अथवा
- महाविद्यालय स्तर पर रेजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर्राष्ट्रीयविद्यालय रैली में भाग लिया हो।
- (क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक।
 (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक।
 (ग) तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक।
 (घ) प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक।

नोट:-

उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण
पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष
द्वारा प्राप्ति हस्ताक्षरित/एन०सी०सी० अधिकारी/एन०एस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत
किया हुआ प्रमाण—पत्र/रोवर्स/रेजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स/रेजर्स) द्वारा निर्गत
प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षाओं:-

1. डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्वदित
पीपित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल
स्थायी/अव्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकूप्य में स्थायी परिवोजनाओं
के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैक के केवल पति—पत्नी
पुत्र—पुत्री (अविवाहित)। 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अद्वृत सैनिक बल (पुलिस/पी.एस.सी.) में कार्य करते
हुये विजय के सभी सहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिच्यारी:-

- प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में ईशणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणितकता की पोषण स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत या इसी गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
- प्रवेश हेतु वरीयता तूंकी के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:-

किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आराय का प्रमाण पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

- विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु—

- | | |
|---------------------------------|----------|
| (क) प्रथम विजेता होने के लिए | - 5 अंक। |
| (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये | - 4 अंक। |
| (ग) तृतीय विजेता होने के लिये | - 3 अंक। |
| (घ) प्रतिभाग करते के लिये | - 2 अंक। |

- एन०सी०सी०“सी” सर्टीफिकेट/जी-२ उत्तीर्ण अध्यवा

एन०सी०सी०“बी” सर्टीफिकेट /जी-१ उत्तीर्ण अध्यवा

एन०सी०सी० कोडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

- एन०एस०एस० में 240 घण्टे का कार्य तथाकम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए।

- दा० आम्बेडकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयं जो उन पर आकृत हो।

17 अंक

5. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अदकारा प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री
(अविवाहित)

10 अंक

नोट:-

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व नृत्य होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त 1 से 3 के सम्बर्ध में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स कारन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एनोसीओसी/अधिकारी/एनएसएस० अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा।

6. महाविद्यालय स्तर पर रोडर्स रेजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय ऐसी में भाग लिया हो।

- | | |
|--------------------------------|----------|
| (क) प्रथम विजेता होने के लिए | - 5 अंक। |
| (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए | - 4 अंक। |
| (ग) तृतीय विजेता होने के लिए | - 3 अंक। |
| (घ) प्रतिभाग करते के लिए | - 2 अंक। |

नोट:-

उपर्युक्त 1 से 5 के सम्बर्ध में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स कारन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एनोसीओसी/एनएसएस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण—पत्र/रोडर्स रेजर्स के लिए समन्वयक (रोडर्स रेजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र ही मान्य होगा।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को उन्हीं विषयों में प्रवेश दिया जायेगा, जिन विषयों का अध्ययन स्नातक अन्तिम वर्ष की कक्षा में किया हो।
(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिवर्षित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण — पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्षण में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सौटे अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्षणों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय दिया जायेगा।

(द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की अवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(८)- (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अनिमान्य होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय को अप्रसारित नहीं करेंगे।

(स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।


(द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर समर्पक करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/मूचियों की अद्यतन “अपटू-डेट” जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व - होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भासी भास्ति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी ट्रूटिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा शोमक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अव्यर्थ ही होगा।

9- प्रत्येक छात्र को वेब रजिस्ट्रेशन नम्बर (Web Registration Number) लेना होगा। प्रवेश के समय समस्य अभ्यर्थियों को अधार कार्ड नम्बर के आधार पर W.R.N (Web Registration Number) दिया जायेगा। इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझें जायें।

**प्रबन्ध समिति महात्मा गांधी बालिका विद्यालय (पी.जी) कालेज
एस.एन. मार्ग, फिरोजाबाद**

1. श्री राजेश्वर प्रसाद बंसल	अध्यक्ष
2. श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	उपाध्यक्ष
3. श्री अनुपम कुमार गुप्ता	कोषाध्यक्ष
4. श्री अनिल उपाध्याय	सचिव
5. श्री प्रदीप मित्तल (पम्मी)	उपसचिव
6. श्री महेन्द्र पाल सिंह चौहान	लेखा-निरीक्षक
7. श्री राजनाथ गुप्ता	सदस्य
8. श्री हरिओम गुप्ता (आदर्श)	सदस्य
9. श्री राजकुमार मित्तल	सदस्य
10. श्री डॉ. नीरज कुमार गुप्ता	सदस्य
11. श्री महेन्द्र प्रताप बसंल	सदस्य
12. श्री धर्मेन्द्र मोहन गुप्ता	सदस्य
13. श्री अनूप चन्द्र जैन	सदस्य
14. श्री विजयकान्त उपाध्याय	सदस्य
15. श्री सुरेश चन्द्र गर्ग	सदस्य
16. श्रीमती शशि शर्मा	सदस्य
17. श्री मनीष असीजा	सदस्य
18. डॉ. निर्मला यादव	प्राचार्या पदेन सदस्य
19. डॉ. रत्ना सक्सेना	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य
20. कु. रीता दीक्षित	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य
21. डॉ. प्रियदर्शिनी उपाध्याय	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य
22. डॉ. पूनम	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य
23. श्रीमती फूलमाला राजन	तृतीय श्रेणी प्रतिनिधि सदस्य



महात्मा गांधी वालिका विद्यालय (पी.जी.) कॉलेज

सरोजनी नायडू मार्ग, फिरोजाबाद-283 203

Web Site Address mgbvpgcollege.com

Email ID- mgbvpgcfz@yahoo.com

Phone: 05612-241393